न्यायालय जिला कलक्टर,डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी– अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 02/2022 दायर दिनांक 22.09.2022
जीसीएमएस नं. 2022/29 फैसल दिनांक: 20.03.2024

राज्य सरकार जरिये रामचन्द्र शेखावत, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान। प्रार्थी

बनाम

श्री विमलप्रकाश वागणिया पिता श्री नानालाल वागणिया निवासी ग्राम पंचायत सातडिया तहसील सलियाकोट जिला डूंगरपुर राजस्थान। विपक्षी

उपस्थिति 1. प्रार्थी की ओर से – विभागीय पेरोकार–प्रवर्तन निरीक्षक
2. विपक्षी की ओर से – श्री लालसिंह चूण्डावत अधिवक्ता।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत राजकीय बकाया की वसूली

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत सातडिया एवं ग्रामीणो की शिकायत व जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के मौखिक आदेश पर प्रवर्तन निरक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा दिनांक 17.02.2020 को उचित मूल्य दूकानदार श्री विमल प्रकाश वागणिया केन्द्र सातडिया की जांच की गई। पोस मशीन संख्या 5766 अनुसार खाद्यान्न की स्थिति गेहूं बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्त्योदय 111.06 क्विंटल गेहूं एपीएल 207.38 क्विंटल तथा लेवी चीनी एवं केरोसीन 0 पाया। सरपंच एवं वार्ड पंच की मौजूदगी मे गोदाम का भौतिक सत्यापन इलेक्ट्रोनिक कांटे से गेंहू तौलने पर 50 किग्रा के 139 कट्टे व 20 किग्रा खुला पाया। सत्यापन पर कुल 69.70 क्विंटल गेहूं पाया गया जो पोस मशीन के स्टॉक के रिकार्ड से 248.74 क्विंटल कम था। वक्त जांच यह भी पाया गया कि डीलर द्वारा मार्च 2020 के 69.63 क्विंटल गेहूं जो डीलर के पास पहुंच चुका था उसे सेंड टू पोस नही किया गया था। इस प्रकार 248.74 क्विंटल एवं 69.63 क्विंटल कुल 318.37 क्विंटल गेहूं स्टॉक से कम पाया गया। उपभोक्ताओ द्वारा राशन वितरण में डीलर विमल प्रकाश द्वारा अनियमितता करना बताया जिससे राशन कार्डो की जांच करने पर कई माह के अंतराल पर राशन कार्ड में राशन वितरण करना दर्शाया गया। उपभोक्ताओ द्वारा राशन डीलर पर यह भी आरोप लगाया गया कि राशन कार्डो में इन्द्राज के बावजूद कुछ माह का राशन वितरित नही किया गया है न इन्हें भौतिक रूप से गेहूं दिया गया। रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत करने पर दिनांक 18.02.2020 को राशन डीलर विमल प्रकाश वागणिया का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलंबित किया गया। दिनांक 05.03.2020, 26.03.2020 को डीलर को नोटिस जारी किया गया किन्तु अनुपस्थिति पर दिनांक 04.05.2020 को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 29.05.2020 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने सूचित किया गया, किंतु डीलर द्वारा उक्त नोटिसो का जवाब नही दिया गया। डीलर को निरंतर उक्त राशि की भरपाई करने हेतु दूरभाष एवं कार्यालय में बुलाकर व्यक्तिशः निर्देशित करने के बावजूद डीलर द्वारा दिनांक 17.08.2020 को मात्र 15 क्विंटल गेहूं सातडिया केन्द्र की अस्थाई व्यवस्था संभाल रहे डीलर गौतमलाल ताबियाड को दिया गया। उसके पश्चात् डीलर द्वारा किसी भी प्रकार के गेहूं की भरपाई नही की गई तथा दिनांक

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

22.12.2020 को प्रवर्तन निरक्षक भंवराराम चौधरी एवं पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा डीलर विमल प्रकाश बामणिया को जिला रसद कार्यलय बुलाकर अन्तिम मौका देते हुए 303.37 क्विंटल गेहूं की अविलम्ब पूर्ति कर अटैच दूकानदार गौतमलाल ताबियाड को सुपुर्द करने निर्देशित किया किंतु डीलर द्वारा किसी प्रकार के गेहूं की भरपाई नही की जाने से जिला रसद अधिकारी के लिखित आदेश दिनांक 15.01.2021 के क्रम मे प्र.नि. पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा राशन डीलर विमलप्रकाश बामणिया के विरूद्ध आवश्यक वस्त अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत 303.37 क्विंटल गेहूं के गबन कर दुरूपयोग करने एवं कालाबाजारी के कारण चितरी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट 8/2021 दर्ज कराई गई। प्र.नि पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, मौका पर्चा, निरीक्षण प्रपत्र, उपभोक्ताओ के बयान, उचित मूल्य दूकानदार विमलप्रकाश बामणिया केन्द्र रातडिया का निलंबन आदेश, ग्राम पंचायत रातडिया द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को की गई शिकायत की प्रति, पोस मशीन संख्या 5766 की तात्कालीन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, रातडिया केन्द्र की अस्थाई वितरण व्यवस्था संभाल रहे डीलर द्वारा विमलप्रकाश से प्राप्त गेहूं 15 क्विंटल की पावती एवं डीलर विमलप्रकाश का प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुए राशन डीलर विमलप्रकाश बामणिया के विरूद्ध जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत 303.37 क्विंटल गेहूं की राशि रूपया 8,19,909/- आठ लाख उन्नीस हजार नव सौ नव रूपया राजकीय बकाया के रूप में वसूल किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सुनवाई हेतु विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री लालसिंह चूण्डावत उपस्थित हुए एवं दिनांक 26.07.2023 को जवाब पेश किया कि विपक्षी द्वारा गेहूं का गबन नही किया गया, न ही सामान वितरण में अनियमितता बरती गई हैं, राशन वितरण बराबर किया जा रहा है। विपक्षी के विरूद्ध पुलिस थाना चितरी में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है किंतु उक्त पत्रावली मे ट्रायल होना बाकी है। न्यायलय द्वारा विपक्षी को दोष सिद्ध घोषित नही किया है जिससे विपक्षी के विरूद्ध पीडीआर एक्ट 1952 के तहत 8,19,909/- रूपयो की वसूली की कार्यवाही नही की जा सकती है। विपक्षी की उचित मूल्य दूकान पर गेहूं थाणा गांव स्थित आरएसडब्लूसी के गोदाम से राजस्थान सरकार द्वारा भेजा जाता है जहां विधिक वाट माप नियंत्रक अधिकारी के द्वारा जांच की गई जिसमे 4900 किग्रा यानि उनपचास क्विंटल वजन तक जांच की जिसमें 48 किग्रा की गडबडी मिली अर्थात् एक ट्रक में डेढ से पौने दो क्विंटल अनाज कम दिया जा रहा था। जिला विधिक वाट माप नियंत्रक अधिकारी ने धर्मकांटा प्रभारी व गोदाम मालिक के खिलाफ विधिक माप अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही के लिए रसद अधिकारी को अवगत करा दिया है। विपक्षी के पास आरएसडब्लूसी के गोदाम से ही अनाज कम मात्रा में दिया जा रहा था विपक्षी द्वारा गेहूं का गबन नही किया गया है। जिससे विपक्षी के विरूद्ध पीडीआर एक्ट 1952 के तहत 8,19,909/- रूपयो की वसूली की कार्यवाही निरस्त कराने निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस समायत की गई। प्रार्थी प्रवर्तन निरक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए 303.37 क्विंटल गेहूं की राशि रूपया 8,19,909/- आठ लाख उन्नीस हजार नव सौ नव रूपया राजकीय बकाया की वसूली किए जाने हेतु निवेदन किया ।

विपक्षी द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दौराहते हुए धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा न्यायालय मे विचाराधीन होने से प्रकरण का निस्तारण होने तक

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

विपक्षी के विरूद्ध पीडीआर एक्ट 1952 के तहत 8,19,909/– रूपयो की वसूली की कार्यवाही स्थगित रखने निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा बहस पर मनन करते हुए पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि रसद विभाग के निरीक्षण के वक्त कम पाये गये गेहूं की मात्रा 303.37 क्विंटल की भरपाई कराने हेतु विभाग द्वारा काफी प्रयास करने के उपरान्त भी विपक्षी ने गेहूं की भरपाई नहीं की है। विपक्षी द्वारा अब आरएसडब्लूसी गोदाम से गेहूं कम मात्रा में प्राप्त होने का तर्क दिया जा रहा है वह समस्त डीलरों हेतु प्रभावी रहा होगा जिससे विपक्षी का तर्क मानने योग्य नहीं ठहरता है। इस प्रकरण में हमें विपक्षी से कम पाये गये गेहूं अथवा राशी की वसूली बाबत निर्णय किया जाना है। यह प्रमाणित हो चुका है कि विपक्षी की दूकान के निरीक्षण के समय 303.37 क्विंटल गेहूं कम पाया गया था जिसकी भरपाई उसके द्वारा नहीं की गई है जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। गेहूं की राशी विभाग के अनुसार 8,19,909/– रूपया बनती है उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूली किया जाना उचित पाता हूं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षी श्री विमलप्रकाश बामणिया पिता श्री नानालाल बामणिया निवासी ग्राम पंचायत रातडिया तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत् 303.37 क्विंटल गेहूं की राशि 8,19,909/– आठ लाख उन्नीस हजार नव सौ नव रूपया की वसूली के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दी जावे। लोक मांग वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार हो एवं बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर